उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)
CIN:U322001UP1999SGC024928

संख्या : 1488–प्रशि0–10 / पाकालि / 2014–7–प्रशि0 / 2010	दिनांक : 01 – 12 – , 2014

1 अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

2 मुख्य अभियन्ता,
ऊर्जा कय अनुबन्ध निदेशालय,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

3 मुख्य अभियन्ता,
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।

4 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।

5 मुख्य अभियन्ता,
रेगुलेटरी अफेयर यूनिट,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।

6 संयुक्त सचिव (स0प्र0),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन
लखनऊ।

7 निदेशक (विद्युत प्रशिक्षण संस्थान),
सरोजनी नगर,
लखनऊ

8 उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन
लखनऊ।

9 अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन यूनिट),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।

विषय :– उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम–2010 के कियान्वयन हेतु गठित 'कार्मिक आमेलन समिति' को विकल्प–पत्र उपलब्ध कराये जानें के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम–2010 के अन्तर्गत अन्तरण स्कीम की अनुसूची–क (ख) (अंश संलग्न) में आच्छादित कार्मिकों के उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में स्थायी आमेलन हेतु आवश्यक कार्यवाही के

सम्बन्ध में शासन द्वारा 'कार्मिक आमेलन समिति' का गठन किया गया है। कार्मिक आमेलन समिति की दिनांक 05–09–14 को सम्पन्न हुई बैठक में पूर्व में प्राप्त विकल्प पत्रों को निरस्त करते हुए पुनः विकल्प पत्र मॉगने का निर्णय लिया है। अन्तरण स्कीम के प्राविधानों के अनुसार अन्तरण स्कीम की अनुसूची–क (ख) में आच्छादित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के ऐसे कार्मिक जो उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में अपना स्थायी आमेलन चाहते है उनके स्थायी आमेलन का विकल्प देने हेतु विकल्प–पत्र 10 प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों से विकल्प–पत्र की प्राप्ति (Acknowledgement) की प्रति पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपसचिव (प्रशि0) कमरा सं0–610, शक्ति भवन (मु0) लखनऊ को अवश्य उपलब्ध करा दें। विकल्प–पत्र भरते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये :–

1. सभी स्तर के कार्मिकों हेतु विकल्प प्रपत्र एक ही है।
2. कारपोरेशन में विकल्प–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30–12–14 है।

अपनें अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को अवगत करा दें कि यदि विकल्प–पत्र दिनांक 30–12–14 तक उपसचिव (प्रशि0) कमरा सं0–610, शक्ति भवन, कारपोरेशन मुख्यालय में नहीं प्राप्त होते है तो समिति द्वारा माना जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में आमेलित नही होना चाहता है।

संलग्नक : <u>यथोपरि।</u>

भवदीय,

/

(बी0डी0 पाण्डेय)
अपर सचिव (का0प्र0–01)
<u>एवं संयोजक आमेलन समिति</u>

<u>संख्या : 1488 (i)–प्रशि0–10 / पाकालि / 14 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को विकल्प–पत्र की 10 प्रतियों सहित उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा / सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आयात–निर्यात एवं भुगतान मण्डल।
7. सूचना पट्ट।
8. अधि॰ अभि॰, (वेब), उ0 प्र0 पावर कार्पो॰ लि0, शक्ति भवन लखनऊ

1/12/2014

(बी0डी0 पाण्डेय)
अपर सचिव (का0प्र0–01)
<u>एवं संयोजक आमेलन समिति</u>

अनुसूची–क
कृपया नियम 3(2) देखें
पारेषण उपक्रम के कार्मिकों के अन्तरण के लिए व्यवस्थायें :

(क)– नीचे सूची में यथा दर्शित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की इकाईयों से सम्बन्धित कार्मिक अपने अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्तरण के प्रभावी दिनांक को पारेषण कम्पनी को अन्तरित माने जाएंगे :

1. मुख्य अभियंता (पारेषण), लखनऊ { उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश सं0 151 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के अनुसार वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (आपरेशन) एवं मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट) }।
2. मुख्य अभियंता (पारेषण मध्य), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद।
4. मुख्य अभियंता (पारेषण पश्चिम), मेरठ।
5. मुख्य अभियंता (पारेषण दक्षिण), आगरा।
6. मुख्य अभियंता (सिविल) पारेषण–।, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता (सिविल) पारेषण–।।, लखनऊ (शक्ति भवन मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता एवं इनके अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर)
8. मुख्य अभियंता (संचार एवं नियंत्रण), लखनऊ (विद्युत निर्यात आयात एवं भुगतान मण्डल को छोड़कर)
9. मुख्य अभियंता (ए0पी0टी0पी0), लखनऊ।
10. मुख्य अभियंता (परिकल्प एवं क्रय), लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता (ऊर्जा प्रणाली), लखनऊ/एसएलडीसी जिसमें समस्त एएलडीएस सम्मिलित हैं।
12. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण, नियोजन एवं ऊर्जा संगठन।

(ख)– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को अन्तरित किये जाने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की निम्नलिखित इकाइयों से कार्मिकों (पदों) को चिन्हित किया गयाः–

1. उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
2. विद्युत आयात–निर्यात एवं भुगतान मण्डल (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
3. ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
4. मानव संसाधन एवं विकास संगठन (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
5. वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
6. कम्प्यूटरीकरण इकाई (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
7. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
8. रेगुलेटरी अफेयर यूनिट (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
9. मुख्यालय लेखा सवंर्ग (अनुसूची– ख के अनुसार पद)
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) (अनुसूची– ख के अनुसार पद)

टिप्पणीः–

1. उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को पदों के स्थानान्तरण पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, संस्थागत जरूरतों को ध्यान में रख कर कार्मिकों (पदों) की मांग की सूक्ष्म परीक्षण/समीक्षा करेगा और पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव यदि कोई है, सक्षम अधिकारी को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजेगा।

2. यदि अन्तरक या अन्तरिती के निदेशक मण्डल के कुछ कार्यों से कुछ पदों के नाम बदल जाते हैं तो उक्त बदले हुए पदनाम वर्तमान स्थिति में स्वतः लागू होंगें।

विकल्प पत्र

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय/ ऊर्जा कय अनुबन्ध निदेशालय/ (विद्युत प्रशिक्षण संस्थान)/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा/रेगुलेटरी अफेयर यूनिट/जल–विद्युत/विद्युत आयात एवं निर्यात भुगतान मण्डल/अधीक्षण अभियन्ता, कप्यूटराईजेशन इकाई/मुख्यालय लेखा संवर्ग कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु।

(केवल वे ही कार्मिक विकल्प –पत्र भरे जो उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में आमेलित होना चाहते है।)

शासन की अधिसूचना सं0–2074/24/पी–2/2010 दिनांक 23–12–2010 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत अनुसूची 'ख' में आच्छादित कार्मिकों के स्थाई रूप से/अन्तिम आमेलन किये जाने हेतु

1. कार्मिका का नाम :
2. पदनाम :
3. वर्तमान तैनाती स्थल :
4. वर्तमान खण्ड/मण्डल/परियोजना का नाम :
5. तैनाती की तिथि : वर्तमान पद पर : वर्तमान क्षेत्र/इकाई
6. क्या आप निम्नलिखित वर्ग के है : –
   अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अन्य आरक्षित श्रेणी (जो लागू न हो काट दें)
7. कार्मिक के पिता/पति का नाम :
8. जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में)
9. गृह जनपद :
10. योग्यता : (क) शैक्षिक : (ख) व्यावसायिक :
11. विशिष्ट प्रशिक्षण विवरण :
12. मैं उ0प्र0 ऊर्जा सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम–2010 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में स्थाई आमेलन हेतु विकल्प–पत्र दे रहा हूँ/दे रही हूँ : (विकल्प–पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि ...30.12.14... निर्धारित की गयी। विकल्प–पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में 'आमेलन समिति' द्वारा माना जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में आमेलित नही होना चाहता है।)
13. पूर्व सेवाकाल में विभिन्न स्कन्धों में तैनाती की कुल कार्य अवधि (वर्षो में)

क्रम सं0	स्कन्ध का नाम	तैनाती की अवधि/पदनाम	तैनाती की कुल अवधि (वर्षो में)
1	वितरण		
2	पारेषण		
3	शक्ति भवन (मु0)		
4	अन्य		

.....2

14. मै यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि इसमें कोई असत्यता/भ्रम पाया गया तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर
कार्मिक का पूरा नाम :
एवं पदनाम तथा पता :
अभिज्ञान संख्या (अभियन्ता अधिकारियों हेतु) :

---

15. इकाई प्रमुख की संस्तुति

दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :
कार्यालय की मोहर :

5